# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009
Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 39 रायपुर, दिनांक 20 MAY 2026

प्रति,

1. M/s Maa Vaishanav Industries,
   Vill. - Tendukona, Nagri Road,
   Distt. - Dhamtari (C.G.)
   Mob.No. 99077-65522

2. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग,
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., धमतरी (छ.ग.)

**विषय** :– प्रकरण क्रमांक / 11 / रायपुर(ग्रा.) / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर ग्रामीण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

**संलग्न** :– उपरोक्तानुसार ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

(अशोक खण्डेलवाल)
**अध्यक्ष**
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

**प्रतिलिपि** :– अधीक्षण अभियंता (संचा / संधा) वृत्त, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)
## सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

**विषयः–** बिल में सुधार करके शेष राशि का समायोजन करने बाबत् ।

प्रकरण क्रमांक / 11 / रायपुर(ग्रा.) / 2026

M/s Maa Vaishanav Industries, ....आवेदक
Vill. - Tendukona, Nagri Road,
Distt. - Dhamtari (C.G.)
Mob.No. 99077-65522

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग, ....उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., धमतरी (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 20 / 05 / 2026 को घोषित)

1. आवेदक M/s Maa Vaishanav Industries द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 16.02.2026 यह है कि "आपसे निवेदन है कि हमारी फर्म मॉ वैष्णव इंडस्ट्रीज द्वारा आपके विभाग से विद्युत कनेक्शन लिया गया है और पिछले कुछ माह से बिल ज़ो आता उसमें फिक्स्ड चार्ज Rs. 150/KW के बजाए Rs. 375/KW और एनर्जी चार्ज Rs. 6.50 Unit के बजाए Rs. 7.35 Unit से बिलिंग किया गया था । क्योंकि विभाग द्वारा टैरिफ उपलब्ध नहीं होने के कारण किया गया था और टैरिफ बनाने पर उसको रिवाइजिन करके शेष राशि को बिल से समायोजन करने का आदेश दिया गया था परन्तु विभाग द्वारा टैरिफ जारी करे एक माह से भी ऊपर हो चुका है पर अभी तक विभाग द्वारा हमारे फर्म के बिल का सुधार करके शेष राशि का समायोजन नहीं किया गया है, माह फरवरी से जून तक के संपूर्ण बिल में सुधार किया जाना है । कृपया करके हमारे बिल का सुधार करके समायोजन करने की कृपा करें ।"

2. यह कि उत्तरवादी कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., धमतरी ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 204 दिनांक 15.04.2026 को सूचित किया है कि :–

यह कि मेसर्स मॉ वैष्णव इण्डस्ट्रीज धमतरी के द्वारा बिल में सुधार करके शेष राशि का समायोजन करने के लिए दिनांक 20.08.2025 को पत्र प्राप्त हुआ

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

इसी संबंध में धमतरी उपसंभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 886 दिनांक 23.09.2025 को 200 एच.पी. औद्योगिक कनेक्शन के टैरिफ चार्ज संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करने बाबत् पत्राचार किया गया था । जिसके प्रतिउत्तर में पत्र क्रमांक 10–22/राजस्व/26/7138 दिनांक 16.02.2026 एवं यू.ओ. नोट क्रमांक 6889 दिनांक 29.01.2026 को टैरिफ कैटेगरी का उल्लेख नहीं होने के कारण बिना कार्यवाही के वापस किया था । जिसमें निम्नलिखित वर्णन किया गया है ।

(i) निम्नदाब औद्योगिक कनेक्शन मेसर्स मॉ वैष्णव इण्डस्ट्रीज बी.पी.क्रमांक 1006490900 ग्राम तेन्दूकोना एवं मेसर्स रिषभ राईस प्रोसेसिंग बी.पी.क्रमांक 1001040472 ग्राम श्यामतराई का माह फरवरी एवं अप्रैल 2025 में भार वृद्धि कर 200 अ.श. किया गया एवं उक्त अवधि में निम्नदाब श्रेणी में 200 अ.श. का टैरिफ नहीं था ।

(ii) CG State Electricity Regulatory Commission Raipur Suo Motu Versus CG State Power Distribution Com. Ltd. Petition No. 15/2025 Date 27.03.2025 द्वारा पारित आदेश के अनुसार सेप सिस्टम से बिलिंग किया गया था । जिसकी कॉपी संलग्न है ।

(iii) माह जुलाई 2025 से नये दर निर्धारण के पश्चात उक्त उपभोक्ताओं ने नियम प्रभार एवं उर्जा प्रभार में कमी होने के कारण माह फरवरी से जून 2025 तक भुगतान किये गये बिल को सुधार कर आगामी बिल में समायोजन हेतु आवेदन किया है ।

(iv) CG State Electricity Regulatory Commission Raipur द्वारा उक्त पिटिशन के संबंध में जारी Suo Motu Petition No. 15/2025 Date 18.09.2025 में बिल सुधार/समायोजन करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं है ।

**फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण** :– दिनांक 13.05.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं दस्तावेजो की समीक्षा उपरान्त प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

3. यह कि ग्राम तेंदूकोना, धमतरी स्थित आवेदक के परिसर में मेसर्स मां वैष्णव इंडस्ट्रीज, प्रो. वैभव लुंकड के नाम पर 200 एच.पी. भार का, औद्योगिक श्रेणी का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1006490900 के माध्यम से राईस मिल उपयोग हेतु उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है ।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

4. . यह कि आवेदक के अनुसार पूर्व में उसके औद्योगिक कनेक्शन का अनुबंधित भार 150 एच.पी. था । उसके द्वारा प्रस्तुत भार वृद्धि के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उत्तरवादी द्वारा उसके विद्युत कनेक्शन के अनुबंधित भार को माह फरवरी 2025 में 150 एच.पी. से बढ़ाकर 200 एच.पी. कर दिया गया लेकिन एल.टी. टैरिफ श्रेणी के इस कनेक्शन की बिलिंग माह फरवरी 2025 से जून 2025 तक त्रुटिपूर्ण तरीके से, एच.टी. टैरिफ श्रेणी के समकक्ष कनेक्शन के अनुसार की जाती रही है । इस अवधि में फिक्स्ड चार्ज 150.00 प्रति कि.वा. के स्थान पर 375.00 प्रति कि.वा. एवं एनर्जी चार्ज 6.50 प्रति यूनिट के स्थान पर 7.35 प्रति यूनिट के अनुसार बिल जाता रहा है । आवेदक के अनुसार उसे एल.टी. कनेक्शन के नाम से प्रदायित विद्युत कनेक्शन की बिलिंग भी नियमानुसार एल.टी. टैरिफ के अनुसार ही की जानी थी जो कि अनावेदक द्वारा नहीं की गयी । माह जुलाई 2025 से लागू टैरिफ शेड्यूल में 200 एच.पी. के विद्युत कनेक्शनों के लिए उपलब्ध टैरिफ श्रेणी एवं दर के अनुसार पूर्व अवधि के देयकों में ली गयी अतिरिक्त राशि का समायोजन आगामी देयकों में किए जाने का निवेदन दिनांक 18.08.2025 को प्रेषित पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा उत्तरवादी के समक्ष किया गया लेकिन इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी ।

5. यह कि अपने परिसर में प्रदायित 200 एच.पी. भार के एल.टी. विद्युत कनेक्शन की बिलिंग माह फरवरी से जून 2025 तक एच.टी. दर से किए जाने की अनावेदक की कार्यवाही को नियम विरूद्ध बताते हुए एवं अपने उक्त अवधि के देयकों की बिलिंग, जुलाई 2025 से लागू टैरिफ शेड्यूल में दी गयी दर के अनुसार पुनरीक्षित करते हुए, भुगतान की गयी अतिरिक्त राशि को आगामी मासिक देयकों में समायोजित किए जाने के अनुरोध के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रस्तुत किया गया है ।

6. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 204 दिनांक 15.04.2026 के माध्यम से प्रेषित जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक को प्रदायित 200 एच.पी. के कनेक्शन की बिलिंग माह फरवरी से जून 2025 तक माननीय आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 के अनुसार की गयी है । उत्तरवादी के अनुसार माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा इसी प्रकरण में पारित अंतिम आदेश दिनांक 18.09.2025 में बिल सुधार अथवा समायोजन करने के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है अतः आवेदक के पूर्व अवधि के देयकों को पुनरीक्षित किया जाना संभव नहीं है ।

7. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या उत्तरवादी द्वारा की गयी माह फरवरी से जून 2025 तक की बिलिंग सही एवं नियमानुसार है ।

ब. क्या उक्त अवधि में उत्तरवादी द्वारा आवेदक से ऐसी कोई राशि वसूल की गयी है जो इस हेतु तय राशि से अधिक थी एवं जिसका समायोजन आवेदक के आगामी देयकों में किया जाना था ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

8. यह कि माननीय छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान याचिका क्रमांक 61 आफ 2024 में दिए गए निर्णय दिनांक 20.09.2024 की कंडिका 2(बी)(1) यथा "Maximum contract demand at supply voltage level of 440V i.e., of LT consumers shall be 200 HP or 150 KW." के अनुसार एल.टी. कनेक्शनों के लिए अधिकतम भार की सीमा बढ़ाकर 200 एच.पी. (150कि.वा.) कर दी गयी यद्यपि तत्समय प्रचलित टैरिफ शेड्यूल (2024–25) में इस भार श्रेणी के कनेक्शनों की बिलिंग की कोई दर निर्धारित नहीं थी ।

9. यह कि टैरिफ शेड्यूल 2024–25 में 112 कि.वा. (150 एच.पी.) से अधिक भार के कनेक्शनों की बिलिंग का प्रावधान न होने से उत्पन्न बिलिंग संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 07.03.2025 पर संज्ञान लेते हुए माननीय आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 15/2025 में दिनांक 27.03.2025 को अस्थायी आदेश जारी किया गया जिसकी कंडिका 8 यथा "In view of the above, it is provisionally decided that HV tariff of respective tariff category for FY 2024-25 without TOD tariff shall be applicable to contract demand more than 112 KW (150 HP) and upto 150 KW (200 HP) **subject to adjustment after final order**."

के अनुसार माननीय आयोग द्वारा 112 कि.वा. से अधिक एवं 150 कि.वा. तक के कनेक्शनों की बिलिंग समकक्ष एच.टी. श्रेणी के कनेक्शन के अनुसार किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी एवं तद्नुसार ही उत्तरवादी द्वारा आवेदक के विद्युत कनेक्शन की बिलिंग की गयी है ।

10. यह कि दिनांक 18.09.2025 को माननीय आयोग द्वारा इस याचिका क्रमांक 15/2025 में अंतिम निर्णय जारी किया गया जिसकी कंडिका 05 के अनुसार – "After detail deliberation, the commission finds it

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

appropriate to finalize the provisional decision taken in order dated 27-03-2025."

इस प्रकार आदेश दिनांक 18.09.2025 के द्वारा माननीय आयोग ने अपने पूर्व के अस्थायी आदेश को ही अंतिम आदेश मानते हुए 112 KW (150 HP) से 150 KW (200 HP) भार तक के कनेक्शनों की बिलिंग एच.टी. टैरिफ के समकक्ष कनेक्शनों के अनुसार किए जाने हेतु आदेशित किया गया । चूंकि माननीय आयोग द्वारा जारी अंतिम आदेश में अंतरिम आदेश दिनांक 27.03.2025 को ही अंतिम आदेश माने जाने हेतु निर्देशित किया गया है अतः आवेदक से माह फरवरी से जून 2025 तक की अवधि में तय राशि से अधिक राशि वसूल किए जाने की कोई संभावना शेष नहीं रह जाती है जिसे आवेदक के आगामी देयकों में समायोजित किया जा सके । स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा माह फरवरी से जून 2025 तक की अवधि में की गयी आवेदक के कनेक्शन की बिलिंग सही एवं माननीय आयोग के निर्देशों के अनुसार है ।

11. यह कि दिनांक 13.05.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक उपस्थित नहीं हुए । फोरम के समक्ष उपस्थित उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन का अनुबंधित भार माह फरवरी 2025 में 150 एच.पी. से बढ़ाकर 200 एच.पी. किया गया था तत्समय टैरिफ शेड्यूल (2024–25) में 150 कि.वा. भार के कनेक्शनों की बिलिंग के लिए किसी प्रकार की टैरिफ श्रेणी निर्धारित नहीं थी अतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत याचिका पर अस्थायी आदेश दिनांक 27.03.2025 जारी करते हुए माननीय आयोग द्वारा इस भार श्रेणी (112 कि.वा. से अधिक 150 कि.वा. तक) के कनेक्शनों की बिलिंग एच.टी. टैरिफ के समकक्ष कनेक्शनों के अनुसार किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी । अनावेदक के अनुसार माननीय आयोग के इसी आदेश के अनुसार आवेदक के 200 एच.पी. के कनेक्शन की बिलिंग एच.टी. टैरिफ के अनुसार की गयी है ।

12. यह कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 86 यथा "Function of state commission" की कंडिका (1)(a) के अनुसार –

1. The state commission shall discharge the following functions, namely -

a-determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the state.

के अनुसार राज्य में विद्युत की दरों के अंतिम निर्धारण की शक्ति राज्य के विद्युत नियामक आयोग मे ही निहित है एवं माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस भार श्रेणी (112 कि.वा. से अधिक 150 कि.वा. तक) के कनेक्शनों की बिलिंग के संबंध में जारी अंतरिम एवं अंतिम निर्णय के अनुसार ही उत्तरवादी द्वारा आवेदक को बिल जारी किया जाना दर्शित होता है ।

13. यह कि दिनांक 13.05.2026 को फोरम को प्रेषित पत्र में आवेदक द्वारा लेख किया गया है कि प्रकरण के संबंध में उत्तरवादी द्वारा दी गयी जानकारी से वे संतुष्ट है एवं इस संबंध में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हैं ।

14. यह कि प्रकरण में उत्तरवादी द्वारा प्रदायित जानकारी से संतुष्ट होने संबंधी आवेदक द्वारा दिए गए पत्र के बाद फोरम के अनुसार इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

15. आदेश पारित ।

16. प्रकरण निराकृत ।

17. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

निर्णय घोषित किया गया

(अशोक खण्डेलवाल)
**अध्यक्ष**
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)